प्रेस प्रकाशनी

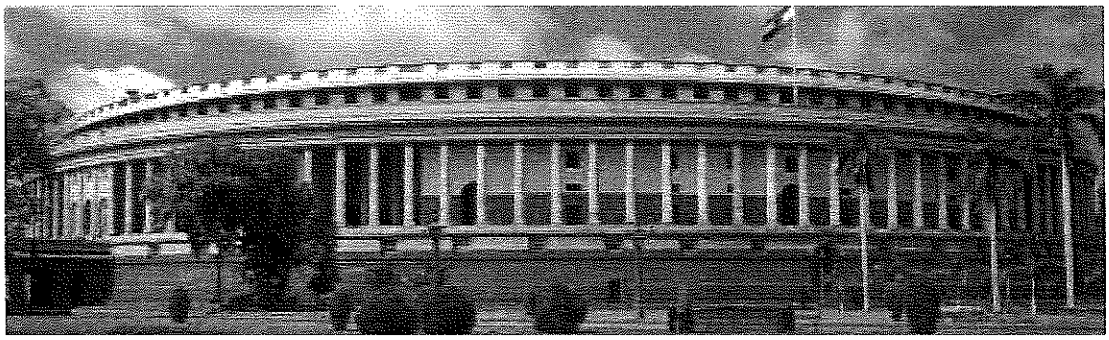

06-12-2019

इस्पात मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2019-20)" के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)

श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य तथा कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के सभापति ने आज, 06 दिसम्बर, 2019 को लोक सभा में इस्पात मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2019-20)" संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की कुछेक महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें निम्नवत हैं:-

आयात पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण इस्पात के स्वदेशी उत्पादन के लिए इस्पात क्षेत्र के अनुसंधान कार्यकलापों की अभिवृद्धि के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता का आग्रह किया गया।	समिति ने नोट किया है कि इस्पात मंत्रालय ने वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान "लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने" की योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमानित किया है। तथापि, इस परिव्यय को कम कर वित्त मंत्रालय द्वारा 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है। समिति को बताया गया था कि अनुमानित धनराशि में कटौती से नई परियोजनाओं का वित्तपोषण इस हद तक प्रभावित हुआ है कि इस्पात क्षेत्र में केवल मूलभूत आरएंडडी की जा सकती है और यहां तक कि छोटी परियोजनाओं का पायलट / प्रदर्शन या वाणिज्यिक पैमाने पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, इस वर्ष कम बजट आवंटन के कारण, उद्योग द्वारा शुरू किए गए नए उत्पाद विकास और नई प्रक्रिया विकास हेतु कई उच्च गुणवत्तापूर्ण परियोजनाओं का समर्थन नहीं किया जा सका। समिति इस संबंध में, मंत्रालय की बात से पूरी तरह सहमत थी और यह पाया कि अनुसंधान और विकास योजना के लिए आबंटित की गई 15 करोड़ रुपये की धनराशि अपर्याप्त है। यह विडंबना ही है यद्यपि भारत विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, फिर भी, यह मूल्य संयोजित इस्पात, कोकिंग कोल आदि

	के लिए आयात पर निर्भर है । समिति महसूस करती है कि सरकार के लिए यह उपयुक्त समय है कि वे इस्पात क्षेत्र की अनुसंधान संबंधी प्राथमिकताओं को समयबद्ध तरीके से तय करे और ऑटोमोटिव सेक्टर व वर्तमान में आयात किए जा रहे बिजली उपकरणों के देशी उत्पादन के लिए इस्पात क्षेत्र को अनुसंधान कार्यों में सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान करे और उसे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं। समिति ने महसूस किया कि बजट परिव्यय की अधोगामी समीक्षा से मंत्रालय की वार्षिक योजना संबंधी प्राथमिकताएं ठप्प पड़ जाती हैं जिसके कारण, उनके लक्ष्य हासिल नहीं हो पाते हैं। समिति को इस बात की उम्मीद रही है कि इस्पात मंत्रालय को अपेक्षित धन मुहैया हो जाएगा, जैसा कि मंत्रालय ने संशोधित अनुमान स्तर पर इसका अश्वासन दिया था। निधियों की कमी से इस्पात मत्रालय की अनुसंधान और विकास योजना में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए । **(सिफारिश सं. 1)**
<u>स्टील क्लस्टर्स के विकास के लिए प्रारूप नीति तैयार करने का स्वागत किया गया।</u>	समिति ने नोट किया है कि इस्पात मंत्रालय ने एक प्रारूप नीति बनाई है जिसका उद्देश्य "स्टील क्लस्टर्स" के रूप में एक आदर्श इको सिस्टम का निर्माण करना है जिसके लिए कच्चे माल समेकित इस्पात संयंत्रों (आईएसपी) से लिए जाएंगे और उनकी विभिन्न डाउनस्ट्रीम इकाइयां स्टील इंटरमीडिएट प्रोडक्टों का

	उपयोग कर भिन्न-भिन्न इस्पात उत्पादों का निर्माण करेंगी। इस नीति में मूल्य संवर्धित इस्पात और कैपिटल गुडस के उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन व अतिरिक्त रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को प्रोत्साहन देने की परिकल्पना की गई है। इससे कार्बन इस्पात, मिश्र धातु (स्टेनलेस स्टील समेत) और अन्य उच्च श्रेणी वाले व विशेष इस्पात का उत्पादन करने वाली इकाइयों का क्षमता विस्तार प्रभावी कच्चे माल लिंकेजों व निम्न विद्युत लागत जैसे अन्य उपायों के जरिए उनकी लागत प्रतिस्पर्द्धा में सुधार हो सकेगा। अर्थव्यवस्था के लिए स्टील क्लस्टर का लाभ घरेलू विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना और इसके साथ-साथ आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कम महत्व के इस्पात और इस्पात सहायक इकाइयों को सक्षम बनाने के अलावा, लागत प्रभावशीलता विकसित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना होगा। समिति, इस्पात मंत्रालय की इस पहल को सहायक, डाउनस्ट्रीम और मूल्य वर्धित इस्पात इकाइयों की चुनौतियों को हल करने का एक बड़ा प्रयास मानती है और इस प्रकार इन इस्पात इकाइयों की मजबूत और स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करते हुए, उनकी असीम क्षमता का उपयोग करती है। समिति आशान्वित थी कि स्टील

	क्लस्टर के विकास के लिए प्रारूप नीति को निर्धारित समय के अनुसार, यानि जून, 2020 तक तैयार कर लिया जाएगा और इस्पात मंत्रालय वर्ष 2024 तक कलिंगनगर और बोकारो में यथाप्रस्तावित दो प्रायोगिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए, अधिकतम प्रयास करेगा। समिति ने यह भी सिफारिश की कि देश भर में ऐसे समूहों की स्थापना के लिए और अधिक क्षेत्रों की पहचान की जाए और उसी के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि समय-समय पर मामले की प्रगति से उसे अवगत कराया जाए। **(सिफारिश सं. 3)**
<u>वर्ष 2018-19 के दौरान सेल का वास्तविक और वित्तीय कार्यनिष्पादन की सराहना की गई।</u>	समिति वर्ष 2018-19 के दौरान, सेल की कुछ अन्य उपलब्धियों जैसे कि सेल का बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन पिछले साल में हुए 14.07 मीट्रिक टन से बढ़कर 15.07 मीट्रिक टन हो गया है, जो 7% की वृद्धि है, सेल ने 7.60 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात का निर्यात किया, जो पिछले 13 वर्षों में सबसे अधिक था, कॉनकास्ट रूट के माध्यम से 13.8 मीट्रिक टन क्रूड-स्टील का उत्पादन, जो एक ऊर्जा कुशल मार्ग है, भी सेल के लिए सबसे अधिक था, को नोट करके भी समिति खुश थी। कंपनी का कारोबार 66,267 करोड़ रुपए था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13.7% की वृद्धि है । इसके अलावा, सेल ने वर्ष 2018-19 के दौरान, लगभग

	20 नए उत्पादों को भी विकसित किया है, जो रक्षा, रेलवे, बिजली, आदि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में देश को मजबूत करेगा। राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए इस्पात के पसंदीदा आपूर्तिकर्ता होने की परंपरा को जारी रखते हुए, सेल ने स्टैचू ऑफ यूनिटी (विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति), बोगीबील ब्रिज (सबसे लंबे रेल-सह-रोड ब्रिज), किशनगंगा और तुरिअल हाइड्रो प्रोजेक्ट, पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे, आदि जैसी रणनीतिक / प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए इस्पात की आपूर्ति की। सेल द्वारा शुरू किए गए कुछ नए बाजारों में श्रीलंका, इटली, स्पेन और यूएई को सीआर कॉइल्स, बांग्लादेश को टीएमटी बार्स, ताइवान, इंडोनेशिया को ब्लूम्स और यूएई और आइवरी कोस्ट को स्ट्रक्चरल्स की आपूर्ति शामिल है। इस तथ्य से कोई इंकार नहीं है कि सेल ने हमारे देश के इस्पात क्षेत्र में बेहतरीन सेवा प्रदान की है और समिति आशा करती है कि यह आने वाले वर्षों में अपने कार्यनिष्पादन को बेहतर करने का प्रयास करेगा। समिति चाहती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान अपने विभिन्न उत्पादों के लक्षित उत्पादन और निर्यात और इसे प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों से उसे अवगत कराया जाए। **(सिफारिश सं. 5)**
चल रही	समिति, एनएमडीसी लिमिटेड की लगभग सभी मुख्य

<u>परियोजनाओं के लिए एनएमडीसी लिमिटेड की निगरानी और कार्यान्वयन एजेंसियों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता।</u>	परियोजनाओं की प्रगति की धीमी गति को नोट करके संतुष्ट नहीं थी। (एक) नगरनार स्टील प्लांट के संबंध में, विलंब, प्लांट के चालू होने की तिथि जो कि मई, 2015 थी, में विलंब के कारण, कच्चे माल हैंडलिंग सिस्टम पैकेज (आरएमएचएस) और मैसर्स बीएचईएल, मैसर्स श्रीराम ईपीसी और मैसर्स बीके के सह-उत्पाद प्लांट में खराब कार्य निष्पादन के कारण हुआ था। इस परियोजना के जुलाई, 2020 में चालू होने की संभावना है। (दो) जहां तक, स्लरी पाइपलाइन बिछाने के लिए राइट ऑफ यूज हेतु भूमि कॉरिडोर की स्थिति का प्रश्न है, तो समिति को बताया गया है कि राइट ऑफ यूज की भूमि कॉरिडोर हेतु धारा 3(1) के तहत राजपत्र में दिनांक 05.01.2018 को प्रकाशित किया गया था और हर एक भूमि मालिकों को उसे वितरित कराया गया है। दिए गए कुल 1064 नोटिसों की तुलना में, एनएमडीसी लिमिटेड को 356 प्रभावित भूमि मालिकों से आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में, पाइपलाइन गलियारा के सीमांकन, पेड़ की गणना और परियोजना हेतु अवसंरचना के आकलन का कार्य प्रगति पर है । 6 गांवों में, ग्रामीण लोगों के कड़े प्रतिरोध के कारण, सीमा निर्धारण का कार्य लंबित है। साथ ही, स्लरी पाइपलाइन के निर्माण और प्रचालन हेतु एक रणनीतिक साझेदार को सीमित करने की संभावना पर भी एनएमडीसी लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा विचार किया जा रहा है। (तीन) किरंदुल में तीसरी

	स्क्रीनिंग प्लांट के संबंध में, जबकि परियोजना के लिए साइट लेवेलिंग पैकेज का कार्य ठेकेदार को जून, 2018 में ही दिया गया था, ब्लास्टिंग आपरेशन की अनुमति नहीं मिली है क्योंकि यह माओवादी प्रवण क्षेत्र है और एनएमडीसी लिमिटेड विस्फोट के लिए रसायनिक / महंगे मोर्टार का उपयोग करने के विकल्प पर विचार कर रही है, जो ठेकेदारों द्वारा शुरू किया जाएगा। (चार) गोल्ड माइन, तंजानिया में रैपिड वैगन लोडिंग सिस्टम और एक्सप्लोरेशन का कार्य विभिन्न कारणों से नहीं दिया जा सका। समिति यह टिप्पण करने के लिए बाध्य थी कि एनएमडीसी लिमिटेड की जारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में काफी विलंब हो रहा है। समिति का यह दृढ़ विचार था कि इस्पात मंत्रालय / एनएमडीसी लिमिटेड को चाहिए कि वे इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन न होने के उत्तरदायी कारकों की पहचान करें । निगरानी और कार्यान्वयन अभिकरणों को सुदृढ़ करके तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि इन परियोजनाओं का लाभ लोगों तक यथाशीघ्र पहुंच सके। **(सिफारिश सं. 10)**
<u>एमएसटीसी लिमिटेड को अपने</u>	समिति ने नोट किया है कि एमएसटीसी लि. विगत 4 से 5 वर्षों से लाभ कमा रही थी, तथापि, यह चिन्ता की

ई-कामर्स कारोबार का सक्रिय रूप से अनुसरण करना चाहिए।	बात है कि कंपनी को वर्ष 2018-19 के दौरान, 324.47 करोड़ रूपए का घाटा हुआ है। समिति को बताया गया कि इस अवधि के दौरान, एमएसटीसी लि. की परिचालनात्मक लागत 3236.50 करोड़ रूपये थी जोकि उसकी कुल आय 2968.53 करोड़ रूपये से भी अधिक थी। जैसाकि बताया गया है 324.47 करोड़ रूपये का घाटा, हाल ही में अधिनियमित इनसौलवेन्सी एण्ड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के उपबंधों के कारण हुआ था, जबकि व्यापारिक कार्य में सभी बकाया को वर्ष 2018-19 में उपबन्धित करना था। यह इस्पात क्षेत्र में मंदी के साथ जिसमें एमएसटीसी लि. का अधिकांश हिस्सा था, उसके व्यापारिक कार्य के कैश एण्ड कैरी मॉडल के लिये प्रमुख रूकावट सिद्ध हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए, एमएसटीसी लि. बैंक गारंटी समर्थित खरीद कार्य बढ़ाना चाहते हैं और अपने कैश एण्ड कैरी व्यापारिक कार्य से अलग होने का निर्णय लिया है, जिसमें ग्राहकों द्वारा धनराशि का भुगतान न करने, अवैधानिक रूप से उठाने, माल का दुरूपयोग, अधिक कार्य लागत की आवश्यकता आदि का जोखिम सम्मिलित है। साथ ही एमएसटीसी लि. ने इस कार्य में अपने 29 से अधिक ग्राहकों को काफी कम करके केवल 4 कर दिया है। अत: एमएसटीसी लि. द्वारा व्यापार का लक्ष्य 2018-19 के बजट अनुमान में 9250 करोड़ रूपये से बजट अनुमान 2019-20 में 4850 करोड़ रूपये करके आधा कर दिया

	गया है। समिति को बताया गया कि एमएसटीसी लि. सहयोजित वितरक मॉडल के अंतर्गत सीमित पैमाने पर व्यापार कर रहा है, जिसमें एमएसटीसी लि. के लिए कोई वित्तीय जोखिम नहीं रहता है। समिति, एमएसटीसी लि. द्वारा सामना की जा रही बाध्यताओं की सराहना करती है और उसकी सुविचारित राय यह है कि बैंक गारंटी समर्थित खरीद कारोबार एक सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि अदा न किये गये बकाया बैंक गारंटी से सुरक्षित रहते है। अतः समिति सिफारिश करती है कि एमएसटीसी लि. सक्रिय रूप से अपने ई-कामर्स कारोबार पर आगे से ध्यान दे और इस क्षेत्र में अग्रणी बने। **(सिफारिश सं. 11)**
<u>वर्ष 2019-20 के दौरान मेकॉन लिमिटेड की व्यावसायिक खरीद और लाभ में वृद्धि अनुमानित है।</u>	समिति यह नोट करके प्रसन्न थी कि मेकॉन लि., इस्पात मंत्रालय के अधीन एक परामर्शदात्री संगठन है, ने वर्ष 2017-18 के दौरान, 1003.43 करोड़ रूपये से बढ़ा कर अपना व्यावसायिक खरीद वर्ष 2018-19 के दौरान 3191.75 करोड़ रूपये कर लिया। इसके अलावा, व्यावसायिक खरीद के लक्ष्य को चालू वर्ष 2019-20 के लिये अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, कंपनी ने जून 2019 तक 4189.37 करोड़ रूपये का कारोबार कर लिया है। अतः वर्ष 2019-20 में अब तक का कंपनी का कार्यनिष्पादन प्रशंसनीय है। यद्यपि, इस्पात मंत्रालय ने बताया है कि पिछला अनुभव बताता है कि सामान्यतः

	एक वित्त वर्ष में एच-1 (अप्रैल – सितम्बर) में कंपनी का कारोबार और लाभप्रदता निष्पादन कम होता है जो एच2 (अक्तूबर – मार्च) में सुधर/बढ़ जाता है। तथापि, समिति यह नोट करके चिन्तित है कि कंपनी ने वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही अर्थात् जून 2019 तक 30.96 करोड़ रूपये का घाटा उठाया है। समिति ने मेकॉन द्वारा इस्पात क्षेत्र के लिए पूंजीगत माल संबंधी बैठक में विभिन्न वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ हस्ताक्षरित अनेक समझौता ज्ञापनों पर भी ध्यान दिया है; यह समझौते अक्तूबर 2018 में (भुवनेश्वर में आयोजित) भारत में विनिर्माण और डसलडोर्फ जर्मनी में जून 2019 में आयोजित मीटेक 2019 धातु और ऊर्जा वर्टिकल में व्यावसायिक अवसर का पता लगाने के लिए किये गये। वर्ष 2019-20 के दौरान, मेकॉन लि. द्वारा बढ़े हुए व्यावसायिक खरीद और नये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर को देखते हुए समिति अपेक्षा करती है कि वित्तीय निष्पादन और कंपनी का लाभ कई गुना बढ़ जायेगा। समिति ने सिफारिश की है कि मेकॉन लि. को व्यापक प्रयास करने चाहिए ताकि वह चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक पहली तिमाही में उठाये गये घाटे को पूरा कर सके। **(सिफारिश सं. 14)**